



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1529/
Date: 6/9/22

SEIAA/2022

प्रति,

गोपाल रघुवंशी,
आत्मज श्री नारायण रघुवंशी,
निवासी ग्राम बरदारी, तहसील पीथमपुर,
जिला धार (म.प्र.)

विषय: प्रकरण क्र. 9229/2022 परियोजना प्रस्तावक गोपाल रघुवंशी आत्मज श्री नारायण रघुवंशी. निवासी ग्राम बरदारी, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं मुरुम खदान, उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.60 हेक्टेयर, खसरा 165/1 पैकी, ग्राम कल्याणसीखेडी, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 734वीं बैठक दिनांक 02.07.2022 उपरांत 744वीं बैठक दिनांक 30.08.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया

"..... राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC 581 वीं बैठक दिनांक 24.06.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

परियोजना प्रस्तावक के ई.मेल. दिनांक 25.08.2022 के माध्यम से सूचित किया है की उनके द्वारा आवेदित प्रकरण में उत्पादन क्षमता 37000 घनमीटर प्रतिवर्ष (पत्थर 25000 एवं मुरुम 14000 घनमीटर प्रतिवर्ष) के स्थान पर 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित हो गया है।

लेख है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा फार्म 9 (Corrigendum in ToR) में आवेदन करते हुये SEIAA द्वारा जारी ToR पत्र में संशोधन उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता 37000 घनमीटर प्रतिवर्ष (पत्थर 25000 एवं मुरुम 14000 घनमीटर प्रतिवर्ष) कर संशोधित ToR पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत विचार चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में पूर्व में जारी ToR पत्र क्र. 968 दिनांक 08.07.2022 में पत्थर एवं मुरुम उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता 37000 घनमीटर प्रतिवर्ष (पत्थर 25000 एवं मुरुम 14000 घनमीटर प्रतिवर्ष) पढ़ा जाये, प्रकरण में जारी ToR की वैधता एवं शेष शर्तें यथावत रहेगी। परियोजना प्रस्तावक एवं सर्व संबंधितों को सूचनार्थ।

उपरोक्त निर्णय अनुसार पूर्व में जारी ToR पत्र क्र. 968 दिनांक 08.07.2022 में पत्थर एवं मुरुम उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता 37000 घनमीटर प्रतिवर्ष (पत्थर 25000 एवं मुरुम 14000 घनमीटर प्रतिवर्ष) पढ़ा जाये तथा ToR की वैधता व शर्तें यथावत रहेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1530 /SEIAA/2022
प्रतिलिपि:-

दिनांक -

6/9/22

1. सदस्य सचिव, SEAC, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भूतल सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
5. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी